



## भारतीय पुलिस व्यवस्था में महिलाओं का सशक्तीकरण

यह एडिटरियल 30/09/2023 को 'द हट्टि' में प्रकाशित "Push for more women, this time in the police" लेख पर आधारित है। इसमें पुलिस बलों में महिलाओं के समावेशन और आरक्षण नीतियों के कार्यान्वयन के माध्यम से उनके प्रतिनिधित्व की वृद्धि करने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा की गई है।

### प्रलिस के लिये:

संवधान (106वाँ संशोधन) अधिनियम 2023, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए आंतरिक शिकायत समितियाँ, राज्यसभा, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (BPR&D), राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, नषिध और नवारण) अधिनियम।

### मेन्स के लिये:

पुलिस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व: स्थिति, महत्त्व, चुनौतियाँ और आगे की राह; 128वाँ संवधान संशोधन वधियक (महिला आरक्षण वधियक)।

आगामी कुछ वर्षों में भारत में सभी विधानमंडल सदस्यों या विधिनिरमाताओं (सांसद, वधियक) में कम से कम 33% महिलाएँ होंगी (संवधान (106वाँ संशोधन) अधिनियम 2023 को हाल ही में राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हो गई है। यह अधिनियम लोकसभा, प्रत्येक राज्य की विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में कुल सीटों में से एक तिहाई सीटों को 15 वर्षों के लिये महिलाओं के लिये आरक्षण करने का प्रावधान करता है। इस संशोधन का उद्देश्य नीतिनिर्माण में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। हालाँकि विधानमंडल सदस्यों की संख्या और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की शक्ति के बीच कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, लेकिन इनमें महिलाओं की संख्या इस बात का उपयुक्त अनुमान प्रदान करती है कि ये संस्थाएँ जैसी समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं, उसके लिये कितनी प्रतिनिधिक हैं।

- विधिनिरमाण में महिलाओं को महत्त्वपूर्ण भूमिका प्रदान करते हुए, हमें कानून प्रवर्तन में भी उनके महत्त्व को कम नहीं आँकना चाहिये। महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 नीतिनिर्माताओं और प्राधिकारों के लिये इस दिशा में ठोस कदम उठाने के लिये एक प्रेरणा के रूप में कार्य कर सकता है।

## पुलिस बल में महिला प्रतिनिधित्व की वर्तमान स्थिति:

- फरवरी 2023 में राज्यसभा में गृह राज्यमंत्री द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार पुलिस बल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व (1 जनवरी, 2022 तक की स्थिति के अनुसार) कुल राज्य पुलिस बल का 11.7% था।
  - जबकि कई राज्यों ने पुलिस बल में महिलाओं के लिये 10% से 33% आरक्षण को अनिवार्य कर रखा है, इनमें से कोई भी राज्य इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर रहा था।
  - उच्च पदों पर महिलाओं की हसिसेदारी इससे भी निम्न स्तर पर थी (8.7%)।

## पुलिस बल में महिलाओं का महत्त्व और आवश्यकता:

- वधिक अधिदेश और वशिष्ट भूमिकाएँ: पुलिस बल में महिलाओं की उपस्थिति ऐसे वधिक अधिदेशों (Legal Mandates) के कारण आवश्यक है जो कुछ निर्धारित प्रक्रियाओं की आवश्यकता रखते हैं, जैसे कि महिलाओं से जुड़े मामलों में महिला अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट दर्ज करना और गरिफ्तारियाँ करना।
  - इसके अलावा, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम जैसे वशिष्ट विधान में महिला अधिकारियों की उपस्थिति आवश्यक है। यह सुनिश्चित करता है कि संवेदनशील मामलों को आवश्यक सहानुभूति और व्यावसायिकता के साथ संभाला जाए।
- महिलाओं के वरिद्ध अपराधों को संबोधित करना: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आँकड़े बताते हैं कि भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत परिभाषित अपराधों का एक महत्त्वपूर्ण भाग महिलाओं के वरिद्ध अंजाम दिया जाता है। इन अपराधों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने, पीड़ितों को सहायता प्रदान करने और न्याय सुनिश्चित करने के लिये महिला पुलिस अधिकारियों का होना महत्त्वपूर्ण है। उनकी उपस्थिति से ऐसे अपराधों की रिपोर्टिंग में वृद्धि हो सकती है और उत्तरजीवी/सर्वाइवर के प्रति अधिक सहानुभूतिपूर्ण प्रतिक्रिया प्राप्त हो सकती है।
- अपर्याप्त महिला पुलिस बल: NCRB का आँकड़ा यह भी उजागर करता है कि मौजूदा महिला पुलिस बल महिलाओं से संबंधित मामलों तक के प्रबंधन लिये भी अपर्याप्त है। इस अंतराल को दूर करने और दिनि-प्रतदिनि की कानून प्रवर्तन गतिविधियों सहित सभी प्रकार की घटनाओं के

लिये पर्याप्त कवरेज प्रदान करने हेतु महिला अधिकारियों की संख्या बढ़ाना आवश्यक है।

- **महिलाओं की सदिध क्षमता:** पुलिस बल में कार्यरत महिलाओं ने विभिन्न भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों में अपनी सबल क्षमता का प्रदर्शन किया है। वे पुलिस संस्थान के भीतर किसी भी कार्यभार को संभालने में पूरी तरह से सक्षम हैं, जसिसे यह सदिध होता है कलिंगकि आधार पर कानून प्रवर्तन में उनकी भागीदारी को अवबुद्ध नहीं किया जाना चाहिये।
- **प्रतनिधित्व और वशिवास:** भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, **पुलिस बल सहित प्रत्येक संस्थान के लिये उस जनता का प्रतनिधि होना आवश्यक है जसिकी वे सेवा करते हैं।** पुलिस बल में महिलाओं की संख्या की वृद्धि करना समुदाय में वशिवास और भरोसा पैदा करने की दशिा में एक महत्त्वपूर्ण कदम होगा। इससे संदेश प्राप्त होगा कपुलिस सभी नागरिकों की आवश्यकताओं के प्रतसुलभ और उत्तरदायी है।

## पुलिस में महिलाओं की भरती से जुड़े मुद्दे:

**भरती के सतर पर:** महिलाओं द्वारा प्रायः प्रवेश सतर से ही विभिन्न चुनौतियों का सामना करना शुरू हो जाता है।

- **केवल अंतराल भरने के लिये भरती:** अधिकांश राज्यों में कषैतजि आरक्षण के माध्यम से अपने पुलिस बलों में प्रत्यक्ष भरती के माध्यम से 30% या 33% रिक्त पदों को महिलाओं से भरने की नीतिकायान्वति है। इसका अर्थ यह है कषिदि न्यूनतम आरक्षति रिक्त पद **SC, ST, OBC और गैर-आरक्षति की प्रत्येक श्रेणी में योग्यता के आधार पर महिलाओं के साथ नहीं भरते हैं** तो इस अंतराल को भरने के लिये महिला उम्मीदवारों को सूची में आगे बढ़ा दिया जाता है।
  - आमतौर पर महिलाओं को अधिसूचित रिक्तियों के वरिद्ध भरती किया जाता है, जब सरकार रिक्तियों को भरने के लिये अनुमति प्रदान करती है।
- **स्थायी बोरड का अभाव:** केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार, कई राज्यों में स्थायी पुलिस भरती बोरड मौजूद नहीं है और उनके पास नयिमति अंतराल पर भरती करने की स्वतंत्रता नहीं है।
- **अनयिमति आरक्षण नीतियाँ:** **पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D)** द्वारा प्रकाशित विवरण (1 जनवरी 2021 तक) के अनुसार **केरल, मजोरम और गोवा जैसे कुछ राज्यों में पुलिस बल में महिलाओं के लिये आरक्षण की नीति लागू नहीं है** और इन राज्यों में महिलाओं का प्रतनिधित्व महज 6% से 11% के बीच है।
  - कुछ राज्यों में राज्य सशस्त्र पुलिस बलों में महिलाओं के लिये आरक्षण 10% तक सीमित है।
- **आरक्षण का अकुशल कार्यान्वयन:** हालाँकि कई राज्यों ने महिलाओं के लिये पर्याप्त संख्या में सीटें आरक्षति की हैं, लेकिन वे इस नीतिको अक्षरशः लागू करने में बुरी तरह वफिल रहे हैं।
  - उदाहरण के लिये, बिहार में महिलाओं के लिये 35% और पछिड़ी जाति की महिलाओं के लिये 3% आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन पुलिस बल में महिलाओं की वास्तविक संख्या लगभग 17.4% ही है।
- **रिक्तियों को भरने की नमिन दर:** औसतन, हर साल कुल पुलिस पदों में से केवल 4% से 5% ही भरती के माध्यम से भरे जाते हैं, जबकि पुलिस बल छोड़ने की दर लगभग 2.5% से 3% है।
  - इस प्रकार, **यदि हम पुलिस बल में महिलाओं की संख्या 10% से बढ़ाकर 30% करना चाहते हैं तो इसमें कम से कम 20 वर्ष लगेगे।**

**भरती के बाद:** महिलाओं को न केवल सेवा में आने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है बल्कि सेवा में आने के बाद भी उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये चुनौतियाँ महिलाओं को पुलिस सेवाओं में शामिल होने से हतोत्साहित करती हैं।

- **कमज़ोर समर्थन:** पुलिस बल में शामिल कई महिलाओं द्वारा **कमज़ोर अवसरचना** (जैसे अलग शौचालयों की अनुपलब्धता और कार्यस्थल उत्पीड़न की रिपोर्ट करने के लिये अवसर की कमी) के कारण असंतोष व्यक्त किया जाता है।
- **सामाजिक-सांस्कृतिक धारणाएँ:** लोगों के मन में अभी भी **यह रूढ़ि है कि पुलिस का कार्य एक मरदाना पेशा है जसिके लिये शारीरिक शक्ति, आक्रामकता और अधिकार-प्रदर्शन की आवश्यकता होती है।** यह एक तरह के 'माचो कल्चर' (Macho Culture) की पुष्टि करता है। यह महिलाओं को पुलिस सेवा में करियर बनाने से हतोत्साहित करता है या उन्हें अपने पुरुष सहकर्मियों, पर्यवेक्षकों और आम लोगों की ओर से भेदभाव एवं उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है।
- **परिवार और बच्चों की देखभाल का प्रभाव:** व्यक्तगित जमिमेदारियों, वशिष रूप से बच्चों की देखभाल संबंधी भूमिकाओं, को संतुलित करना पुलिस सेवा में महिलाओं के करियर की प्रगति में एक बड़ी बाधा बनी हुई है। महिलाओं को कार्य एवं जीवन के बीच संतुलन बनाते समय एक तरह के 'चाइल्ड-टैक्स' का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि विरषिठ पद तक उनकी पहुँच पारंपरिक व्यवहार और दीर्घ कार्य-घंटे की संस्कृति में संलग्न रहने पर नरिभर होती है।

## पुलिस बल में महिलाओं की संख्या में सुधार के लिये कौन-से कदम उठाये जा सकते हैं?

- **अनुकूल माहौल का नरिमाण करना:** एक ऐसे कार्य वातावरण का नरिमाण करना आवश्यक है जो समर्थनकारी और समावेशी हो। इसमें ऐसी नीतियाँ और अभ्यास शामिल हैं जो यौन उत्पीड़न, समान वेतन और करियर में उन्नतिके अवसरों जैसे मुद्दों को संबोधित करते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लगी संवेदीकरण (gender sensitization) पर भी ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पुरुष और महिला अधिकारी एक साथ सम्मानपूर्वक एवं प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें।
- **यौन उत्पीड़न पर रोक:** पुलिस विभाग को महिलाओं के लिये सुरक्षित कार्य स्थान सुनिश्चित करना चाहिये और भेदभाव एवं उत्पीड़न के प्रतशिून्य-सहषिणुता की नीति अपनानी चाहिये ताकि महिलाओं के लिये पुलिस सेवा को एक व्यवहार्य करियर विकल्प बनाया जा सके। विभिन्न विभाग कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिये आंतरिक शिकायत समितियाँ स्थापित करने के लिये कानूनी रूप से बाध्य हैं।
  - विभागों को **'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, नषिध और नविारण) अधनियम 2013'** को क्रयान्वति करना चाहिये।
- **बुनयािदी ढाँचा प्रदान करना:** पुलिस बल में महिलाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त बुनयािदी ढाँचा आवश्यक है। इसमें सुरक्षित

एवं पृथक रहने की जगह, कपड़े आदि बदलने की सुविधाएँ और बाल देखभाल सुविधाएँ (उन महिला अधिकारियों के लिये जो माता हैं) शामिल हैं। देर की पाली में कार्य करने वाली महिला अधिकारियों के लिये सुलभ और सुरक्षित परिवहन वकिल्प भी उपलब्ध होने चाहिये।

- **समान पुलिस अधिनियम:** पूरे देश के लिये समान पुलिस अधिनियम (Uniform Police Act) पुलिस अधिकारियों (महिलाओं सहित) की भर्ती, प्रशिक्षण और कार्य दशाओं से संबंधित नीतियों एवं वनियमों को मानकीकृत कर सकता है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि महिला अधिकारियों को समान व्यवहार और अवसर प्राप्त हों, चाहे वे किसी भी राज्य में कार्यरत हों।
- **भरती बोर्ड:** राज्य-स्तरीय भरती बोर्ड भरती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर इसे अधिक कुशल और पारदर्शी बना सकते हैं। इन बोर्डों को सक्रिय रूप से महिलाओं की भरती को प्रोत्साहित करना चाहिये, जहाँ यह सुनिश्चित किया जाए कि चयन प्रक्रिया उचित और नष्पिकष हो।
- **वशेष भरती अभियान:** पुलिस बल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के उद्देश्य से वशेष भरती अभियान शुरू करना एक उत्कृष्ट विचार है। इसमें अधिकाधिक महिला उम्मीदवारों को आकर्षित करने और उनके प्रतिधारण के लिये लक्षित आउटरीच अभियान, जागरूकता कार्यक्रम एवं मेंटरशिप पहल शामिल हो सकते हैं।

## नष्पिकष:

उन सामाजिक धारणाओं और रूढ़ियों को संबोधित करना आवश्यक है जो महिलाओं को कानून प्रवर्तन के क्षेत्र में करियर बनाने पर विचार करने से हतोत्साहित कर सकती हैं। इन रूढ़ियों को चुनौती देने और पुलिस बल के भीतर उपलब्ध विविध भूमिकाओं एवं अवसरों को प्रदर्शित करने के लिये शिक्षा और जागरूकता अभियान शुरू किये जाने चाहिये। विधायिका में महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने जैसे कदम पुलिस बल सहित विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिये एक मसाल कायम कर सकते हैं। यह नीति-निर्माताओं और प्राधिकारों के लिये इस दिशा में ठोस कदम उठाने के लिये प्रेरणा का कार्य कर सकता है।

**अभ्यास प्रश्न:** भारत के पुलिस बल में महिलाओं के लगातार कम प्रतिनिधित्व के आलोक में, महिला अधिकारियों की भरती में मौजूद प्रमुख चुनौतियों की चर्चा कीजिये। पुलिस सेवा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के महत्त्व का वशिलेण कीजिये और पुलिस बल के भीतर लैंगिक अंतराल को दूर करने के लिये नीतित उपाय सुझाइये।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/empowering-women-in-indian-policing>

